

भारत सरकार  
पर्यटन मंत्रालय  
राज्य सभा  
लिखित प्रश्न सं. 3339 #  
गुरुवार, 21 अगस्त, 2025/30 श्रावण, 1947 (शक)  
को दिया जाने वाला उत्तर

**एमआईसीई पर्यटन**

**3339 # श्री हर्ष महाजन:**

**श्री दीपक प्रकाश:**

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में बैठकों, प्रोत्साहनों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों (एमआईसीई) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष नीति या अभियान चलाया जा रहा है;
- (ख) यदि हाँ, तो चयनित शहरों, बुनियादी ढाँचे के विकास और वैश्विक निवेश प्रोत्साहन के लिए क्या प्रमुख कार्यनीतियाँ परिकल्पित हैं;
- (ग) क्या भारत को एमआईसीई क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का कोई प्रस्ताव है; और
- (घ) वर्ष 2024 के दौरान देश में एमआईसीई बाजार द्वारा कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया और वर्ष 2030 तक इसमें कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

**उत्तर**

**पर्यटन मंत्री**

**(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (घ): एमआईसीई पर्यटन सहित पर्यटक स्थलों और उत्पादों का विकास एवं संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की ज़िम्मेदारी है। तथापि, अपनी सतत गतिविधियों के तहत, पर्यटन मंत्रालय नियमित रूप से सोशल मीडिया और वेबसाइटों सहित विभिन्न माध्यमों से भारत का एक समग्र पर्यटन स्थल के रूप में संवर्धन करता है जिसमें एमआईसीई पर्यटन शामिल है।

मंत्रालय ने 'अतुल्य भारत' अभियान के अंतर्गत एक विशेष उप-ब्रांड के रूप में 'मीट इन इंडिया' की शुरुआत की है। इस उप-ब्रांड का उद्देश्य संवर्धनात्मक पहलों को बढ़ावा देना और भारत को एक आकर्षक एमआईसीई गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करना है, जो सर्वोच्च-स्तरीय

कनेक्टिविटी, अत्याधुनिक अवसंरचना, एक जीवंत ज्ञान केंद्र और कई विशिष्ट पर्यटक स्थलों से लैस है।

पर्यटन मंत्रालय ने एमआईसीई को पर्यटन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में चिह्नित किया है। मंत्रालय ने देश में एमआईसीई उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए एमआईसीई उद्योग हेतु एक राष्ट्रीय कार्यनीति और रोडमैप भी तैयार किया है। एमआईसीई कार्यनीति दस्तावेज़ में निम्नलिखित प्रमुख स्तंभ चिह्नित किए गए हैं:

- (i) एमआईसीई के लिए संस्थागत समर्थन
- (ii) एमआईसीई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का विकास
- (iii) भारतीय एमआईसीई उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना
- (iv) एमआईसीई आयोजनों के लिए व्यापार सुगमता में वृद्धि करना
- (v) भारत की एक एमआईसीई गंतव्य के रूप में मार्केटिंग करना
- (vi) एमआईसीई उद्योग के लिए कौशल विकास

\*\*\*\*\*